भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1295
उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाना

1295. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वीरशैव लिंगायत/लिंगा बलिजा को आंध्र प्रदेश में ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है;
(ख) यदि नहीं, तो ओबीसी की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार की अन्य पिछडा वर्ग की केन्द्रीय सूची में उन्हें शामिल करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जी नहीं।

(ख): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के निष्कर्षों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के वीरशैव लिंगायत, जिन्हें लिंगा बलिजा के नाम से भी जाना जाता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं और इसलिए पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने लायक नहीं हैं। अतः, आंध्र प्रदेश के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में "वीरशैव लिंगायत/लिंगा बलिजा" को शामिल करने का अनुरोध एनसीबीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(ग) से (घ): संसद विधि द्वारा जातियों/समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में समावेशन या अपवर्जन कर सकती है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में जातियों और समुदायों का समावेशन एक सतत प्रक्रिया है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से नृवंशविज्ञान रिपोर्ट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करती है, जिसमें संबंधित जातियों/समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को उचित ठहराते हुए जन सुनवाई के परिणाम का विवरण दिया जाता है।